संख्याः 87/2026/2294/कृशिअ-67-1002(099)/3/2025
Com.No.2007079

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊः 05 नवम्बर, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या हेतु स्वीकृत शोध कार्यक्रमों के प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक शोध, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांकः ANDUAT-03/2026/336, दिनांक 19.09.2026 एवं पत्रांकः ANDUAT-03/2026/426, दिनांक 12.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में शोध कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत शोध प्रस्तावों की प्रथम वर्ष की अवशेष एवं द्वितीय वर्ष की अनुमन्य धनराशि रू0 204.11 लाख वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित धनराशि से निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या हेतु शासनादेश संख्या-34/2026/567/कृशिअ-67-1002(099)/3/2025,Com.No. 2007079, दिनांक 16.03.2026 में अंकित तालिका क्रमांक-3 द्वारा निम्नवत प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति निर्गत की गयी :-

क. सं.	शोध कार्यक्रम का नाम	शोध प्रभारी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में)	अवधि	प्रथम किश्त की धनराशि (रू0 लाख में)
1	Assesment of dietary inclusion of Moringa oleifera leaves on performance of black bengal and beetal goats eastern Uttar Pradesh.	डा0 अजीत कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक	89.82	02 वर्ष	44.91
	Isolation and Characterization of Probiotic Bacteria from the Gastro-intestinal Tract of Labeo rohita and their Dietary effect on Immune and Biochemical responses in cultivable fishes of eastern Uttar Pradesh.	डा0 आर्या सिंह, सहायक प्राध्यापक	113.00	05 वर्ष	22.60

शासनादेश संख्या-51/2026/648/कृशिअ-67-1002(099)/3/2025, दिनांक 28.03.2026 द्वारा निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी :-

क्र. सं.	शोध कार्यक्रम का नाम	शोध प्रभारी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में)	अवधि	प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	*Genetic advancement and technological innovations for development of high yielding vegetab le varieties under protected cultivation.*	Dr. Ashish Kumar Singh, Asstt. Professor	*210.69*	*05 वर्ष*	*42.14*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	*Development of Zinc, Iron and Protein rich Rice Varieties thorough Biochemical and Molecular Approaches for Eastern Uttar Pradesh.*	Dr. Ajay Tripathi, Asstt. Professor,. Post Harvest Management	*81.60*	*05 वर्ष*	*16.32*

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या हेतु शोध कार्यक्रमों के अन्तर्गत् स्वीकृत शोध प्रस्तावों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख में से प्रथम वर्ष हेतु अवशेष धनराशि एवं द्वितीय वर्ष की अनुमन्य धनराशि रू0 204.11 लाख (रूपये दो करोड़ चार लाख ग्यारह हजार मात्र) लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिकानुसार शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	शोध कार्यक्रम का नाम	शोध प्रभारी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में)	अवधि	प्रथम किश्त की धनराशि	शोध कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय	प्रथम वर्ष की अवशेष धनराशि	द्वितीय वर्ष की अनुमन्य धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किश्त की अवशेष एवं द्वितीय वर्ष की अनुमन्य धनराशि की वित्तीय स्वीकृत
1	Assesment of dietary inclusion of Moringa oleifera leaves on performance of black bengal and beetal goats eastern Uttar Pradesh.	Dr. Ajeet Kumar Verma	89.82	02 वर्ष	44.91	44.91	0.00	44.91	44.91
2	Isolation and Characterization of Probiotic Bacteria from the Gastro-intestinal Tract of Labeo rohita and their Dietary effect on Immune and Biochemical responses in cultivable fishes of eastern Uttar Pradesh.	Dr. Arya Singh	113.00	05 वर्ष	22.60	2.92	19.68	22.60	42.28
3	*Genetic advancement and technological innovations for development of high yielding vegetab le varieties under protected cultivation.*	Dr. Ashish Kumar Singh, Asstt. Professor	*210.69*	*05 वर्ष*	*42.14*	*0.00*	*42.14*	*42.14*	*84.28*
4	*Development of Zinc, Iron and Protein rich Rice Varieties thorough Biochemical and Molecular Approaches for Eastern Uttar Pradesh.*	Dr. Ajay Tripathi, Asstt. Professor,. Post Harvest Management	*81.60*	*05 वर्ष*	*16.32*	*0.00*	*16.32*	*16.32*	*32.64*
		योग-	***495.11***		***125.97***	***47.51***	***78.14***	***125.97***	***204.11***

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध,

1. प्रश्नगत शोध योजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-34/2026/567/कृशिअ-67-1002(099)/3/2025, दिनांक 16.03.2026 एवं शासनादेश संख्या-51/2026/648/कृशिअ-67-1002(099)/3/2025, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया गया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम हेतु निर्गत धनराशि का उपयोग संबंधित शोध के संचालन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी शोध में धनराशि का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा।
3. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि आहरित करने के पूर्व संबंधित विश्वीविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत शोध योजना की द्विरावृतित/पुनरावृतित नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत शोध योजना अन्य किसी योजना से अनुदानित / सहायतित नहीं है।
5. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम के संचालन हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा निर्धारित शोध मानको एवं प्रोटोकाल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा। योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।
7. शोध कार्यक्रमों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का पूर्ण उत्तधरदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा निदेशक शोध एवं योजना प्रभारी का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि से आवश्यक उपकरणों आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। केवल उन्हीं उपकरणों को क्रय किया जायेगा जो शोध के लिए नितांत आवश्यक हो और विश्वविद्यालय में पूर्व से उपलब्ध न हो। यही प्रतिबन्ध मानव संसाधन एवं सेवाओं के संदर्भ में योजना अवधि तक रहेगा।
9. शोध कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वित्ति नियंत्रक का यह पूर्ण दायित्वि होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लेगें कि प्रश्नगत शोध का संचालन पूर्व में नहीं किया गया है।
10. प्रश्नगत शोध के संचालन के पूर्व योजना के संचालन की आवश्यकता एवं औचित्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत शोध कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रश्नगत शोध में आगामी किश्त की मांग करते समय से शोध कार्यक्रम में प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।
13. प्रश्नगत शोध के संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में पृथक से योजनावार विवरण रखा जायेगा।
14. उक्त अनुदान के देयक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगें। इस देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
15. कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरांत सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
16. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,04,11,000 (रुपये दो करोड़ चार लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2415801202300 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त / कोषाधिकारी, अयोध्या ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या ।
6. सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
7. शोध निदेशक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा संबंधित शोध प्रभारी ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।